

(द) ग्रामीण/शहरी/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सिटी डिस्पेन्सरी/राजकीय चिकित्सालय

1	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	अध्यक्ष	
2	चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	सदस्य सचिव	
3	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सदस्य	
4	वरिष्ठतम नर्सिंग स्टाफ	सदस्य	
5	संरपच/वार्ड मेम्बर	सदस्य	
6	चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता। (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम एक सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हें दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।

नोट:-सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मिलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है।(गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

भवदीय,

५१.३२
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./RMRS/2017/485

दिनांक ५-१२-१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्वीकृति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (चि.प्र.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक 14-11-2017

क्रमांक-प021(4)चिस्वा / 2 / 2017
निदेशक (जन स्वा0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज्य जयपुर
15 NOV 2017
D.M. & H.S. (R.H.)

विषय:- राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी के गठन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस संबंध में पूर्व आदेशों के अतिक्रमण में निर्देशानुसार लेख है कि समस्त जिला अस्पताल/उपखण्ड स्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्रामीण/शहरी/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिटी डिस्पेन्सरी/राजकीय चिकित्सालय में गठित मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी के सुचारु रूप से संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यकारिणी के गठन की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

"अ" श्रेणी :

जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय

1	जिला कलेक्टर	पदेन अध्यक्ष	
2	संयुक्त निदेशक, जोन	पदेन उपाध्यक्ष	
3	प्रमुख चिकित्साधिकारी	पदेन सदस्य सचिव	
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	
5	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ	सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से मनोनीत किये जायेंगे।
6	विधायक	सदस्य	
7	उप नियंत्रक, चिकित्सालय	सदस्य	
8	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सदस्य	
9	चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत/सामाजिक कार्यकर्ता /दानदाता। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम तीन सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।
10	नर्सिंग अधीक्षक (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	

नोट:- सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के एजेण्डा में सम्मिलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है। (गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

"ब" श्रेणी :

जिला मुख्यालय पर स्थित सेटेलाईट अस्पताल एवं जिला मुख्यालय से अन्यत्र स्थित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत चिकित्सा संस्थान।

1	संयुक्त निदेशक, जोन	पदेन अध्यक्ष	
2	उप निदेशक, जोन	पदेन उपाध्यक्ष	
3	प्रमुख चिकित्साधिकारी	पदेन सदस्य सचिव	
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	
5	विधायक	सदस्य	

6	वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से मनोनीत किये जायेंगे।
7	उप नियंत्रक	सदस्य	
8	वरिष्ठ लेखाकर्मी	सदस्य	
9	वरिष्ठतम नर्सिंग स्टाफ (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	
10	चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता। (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम दो सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।

नोट:—सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मिलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है। (गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंषा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

(स)समस्त उपखण्ड स्तरीय अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

1	CM&HO/RCHO/Dy.CM&HO(H/FW)/ DTO	पदेन अध्यक्ष	
2	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	पदेन उपाध्यक्ष	
3	प्रभारी अस्पताल/सामुदायिकस्वास्थ्य केन्द्र	पदेन सदस्य सचिव	
4	विधायक	सदस्य	
5	कनिष्ठ विशेषज्ञ—अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन से मनोनीत किये जायेंगे।
6	वरिष्ठतम लेखाकर्मी	सदस्य	
7	वरिष्ठतम नर्सिंग स्टाफ(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	सदस्य	
8	चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता। (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	अधिकतम दो सदस्य	जिनका कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो वर्ष का होगा एवं इन्हे दो टर्म से अधिक बार मनोनीत नहीं किया जायेगा।

नोट:—

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग द्वारा दिनांक 23.04.15 को जारी अधिसूचना के तहत पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना हेतु जिन CM&HO/RCHO/Dy. CM&HO(H/FW)/ DTO को उपखण्ड का समुचित उपखण्ड अधिकारी बनाया गया है उसी प्रकार इन उपखण्डों में आने वाली समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संबंधित अधिकारी पदेन अध्यक्ष होंगे, यदि कहीं अपवाद है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने स्तर से अध्यक्ष मनोनीत कर सकेंगे।
- सरकारी विभाग के अधिकारियों को आर.एम.आर.एस के ऐजेंडा में सम्मिलित बिन्दु अनुसार आमंत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकता है। (गैर सरकारी सदस्य/सामाजिक कार्यकर्ता/दानदाता) अध्यक्ष द्वारा अनुशंषा किये जाने पर निदेशक (जन स्वा0) द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात आमंत्रित सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।